सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	भाद्र 18, गुरूवार, शाके 1943-सितम्बर 9, 2021 *Bhadra 18, Thursday, Saka 1943- September 9, 2021*	

भाग-3(क)

राजस्थान विधान सभा में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत करने से पूर्व प्रकाशित किये गये विधेयक।

राजस्थान विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 09, 2021

संख्या एफ. 13(11)विशा/विस/2021 :-**राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021** जैसा कि दिनांक 09 सितम्बर, 2021 को राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया, सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

<u>2021 का विधेयक सं.11</u>

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2021

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया गया)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1975 के राजस्थान अधिनियम सं. 11 की धारा 6 का संशोधन.- राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) की धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट अधिक प्रभार की रकम, उस उप-धारा में निर्दिष्ट एकल यात्री भाड़े के दस गुना के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, होगी।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 (1975 का अधिनियम सं. 11) में संशोधन प्रस्तावित करने का विनिश्चय किया है।

धारा 6 की विद्यमान उप-धारा (2) यह उपबंधित करती है कि समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संदत्त किये जाने वाले अधिक प्रभार की रकम, साधारण एकल यात्री भाड़े या पांच रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर होगी।

वर्तमान संदर्भ में, उक्त उपबंध के अधीन, समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाने वाला अधिक प्रभार बहुत ही अल्प है। निगम की मोटर गाड़ी में किसी व्यक्ति को समुचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने से रोकने के लिए अधिक प्रभार की रकम को बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है।

इसलिए, इस अधिक प्रभार की रकम को बढ़ाकर एकल यात्री भाड़े के दस गुना की रकम के बराबर या दो हजार रुपये, जो भी कम हो, किये जाने का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) को संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

प्रताप सिंह खाचरियावास,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) अधिनियम, 1975 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया गया)

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

Bill No. 11 of 2021

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT SERVICE (PREVENTION OF TICKETLESS TRAVEL) (AMENDMENT) BILL, 2021

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A
Bill

further to amend the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 6, Rajasthan Act No. 11 of 1975.- For the existing sub-section (2) of section 6 of the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975), the following shall be substituted, namely:-

"(2) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to ten times of the single fare referred to in that sub-section or two thousand rupees whichever is less.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to strengthen the power of the Rajasthan State Road Transport Corporation, the State Government has decided to propose amendment in the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975 (Act No. 11 of 1975).

The existing sub-section (2) of section 6 provides that the excess charge, to be paid by a person travelling without proper pass or ticket, shall be a sum equivalent to the ordinary single fare or five rupees whichever is greater.

In the present context, under the said provision, the excess charge to be recovered from a person travelling without proper pass or ticket is very meagre. To prevent a person from travelling without proper pass or ticket in motor vehicle of the Corporation, it has become necessary to increase the amount of excess charge.

Therefore, it has been decided to increase the amount of excess charge to a sum equivalent to ten times of the single fare or two thousand rupees whichever is less. Accordingly, sub-section (2) of section 6 of the said Act is proposed to be amended.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective.

Hence the Bill.

प्रताप सिंह खाचरियावास,
Minister Incharge.

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan State Road Transport Service (Prevention of Ticketless Travel) Act, 1975.

(As introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAMIL KUMAR MATHUR,
Secretary.

Government Central Press, Jaipur.